

पत्रांक-श्रम क०सं०-17/2025 (अंश)-42
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, कटिहार के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 02 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से रू० 60,000/- (साठ हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 60,000/- (साठ हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/एवं आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्ता का ब्यौर, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० उदय होंसदा, 46. मंगल होंसदा, अनुसूचित जनजाति	मरांगकुरी किस्कु (पत्नी) 9867 5141 1073	1340 11.12.2025	ग्राम-पिपरा, पो-बेलवा, पो-बाराय, थाना-प्र०-हसनगंज, जिला-कटिहार 9128243743	35040 16619 6	SBI SBIN000 8391	रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए)	स्यामाधिक मृत्यु, कृषि मजदूरी
2	स्व० बलराम दास, 61, खोखा दास अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनिता देवी (पत्नी) 8135 2508 0057	1341 11.12.2025	ग्राम-गोपालपुर, वार्ड-04, पो-नगर पचायत, पो०-अमदाबाद प्र०-अमदाबाद, जिला-कटिहार 7667316619	54030 21200 52342	UNION BANK UBIN05 54031	रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए)	स्यामाधिक मृत्यु, कृषि मजदूरी

कुल :-60,000/-

(साठ हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-17/2025 (अंश)-42

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रू० 60,000/- (साठ हजार रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, कटिहार/उप श्रमायुक्त, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by Rohit Kumar

Date: 29-12-2025 11:40:57

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

पटना, दिनांक :- 11.12.2025

Rajesh Bhatti

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक